

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 303/2025

1. बलदेव सिंह पुत्र जंजीर सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना हाल संगतकला तहसील संगत जिला बठिण्डा (पंजाब)
2. साहिब सिंह पुत्र जिओन सिंह पुत्र जंजीर सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना हाल संगतकला तहसील संगत जिला बठिण्डा (पंजाब)

-वादीगण

बनाम

हरदेव सिंह पुत्र केलो कौर पत्नी कुण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी पट्टी दिआला (अलीके) तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

2. सुखदेव कौर पत्नी गुरुभगत सिंह पुत्री केलो कौर पत्नी कुण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी लहरा धुलकोट तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
3. रमनदीप कौर पुत्री जिओन सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रोहनाखेडा तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)
4. सुखदीप कौर पुत्री जिओन सिंह पत्नी सुखजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रोहनाखेडा तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिवंल अभिभाषक वादीगण व श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक नं. 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 54/36 ज.सं. 2070-73 में केलो कौर के नाम दर्ज 0.3178 है. कृषि भूमि में से वादीगण को ब.हि.ब. को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर केलो कौर का नाम कलमजन किया जाता है तथा वादी सं. 1 का हिस्सा 0.5388 से बढ़ाकर 0.6977 है. किया जाता है तथा उक्त खाता से वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पिता जिओन सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं. 2 का हिस्सा 0.6977 है. किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/12/2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया